<u>न्यायालयः</u>— <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, चन्देरी जिला</u>—अशोकनगर (पीठासीन अधिकारी:—जफर इकबाल)

<u>फाइलिंग नंबर 235103002152016</u> <u>दांडिक प्रकरण क.-452/16</u> संस्थापित दिनांक-08.11.16

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा :	
आरक्षी केन्द्र चन्देरी जिला अशोकनगर।	
	अभियोजन
विरुद्ध	
01—निन्नू उर्फ नन्नू पुत्र मोहनलाल आदिवासी उम्र 30 वर्ष	
निवासी ग्राम थूबोन जिला अशोकनगर म०प्र०।	
	आरोपी
राज्य द्वारा	:– श्री सुदीप शर्मा, ए.डी.पी.ओ.।
आरोपी द्वारा	:– श्री चौरसिया अधिवक्ता।

—ः <u>निर्णय</u> :— <u>(आज दिनांक 29.07.2017 को घोषित)</u>

01— आरक्षी केन्द्र चन्देरी, जिला अशोकनगर द्वारा आरोपी के विरूद्ध यह अभियोग पत्र अंतर्गत भा.द.वि. की धारा 452, 323, 294, 506, 325 के विचारण हेतु प्रस्तुत किया गया।

02- प्रकरण में आरोपी की गिरफ्तारी व पहचान स्वीकृत तथ्य है।

03— अभियोजन की कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि मामले की फरियादी अंजली ने दिनांक 09.10.16 को आरक्षी केंद्र चंदेरी में इस आशय की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई कि घटना दिनांक को उसके पिता शाम साढे चार बजे वीरेंद्र गडरिया के यहां से खाना खाकर अपने घर आ रहे थे तभी नन्नू सहरिया पीछे से आया और पुरानी रंजिश पर से उसे मां—बहन की अश्लील गालियां देने लगा, जब उसने गाली देने से मना किया तो आरोपी उसके टपरिया में भीतर घुस गया और बांस की लाठी से उसकी मारपीट की जिससे उसे चोट आईं। आरोपी ने रिपोर्ट करने जाने पर से जान से मारने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के विरुद्ध अपराध कमांक 481/16 के अंतर्गत भादि की धारा 452, 323, 294, 506 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई एवं विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04— प्रकरण में आरोपी के विरूद्ध भा.द.वि. की धारा 294, 452, 323, 325 एवं 506 भाग—दो के अंतर्गत अपराध रचित कर विचारण प्रारंभ किया गया। प्रकरण में आई साक्ष्य की प्रकृति को देखते हुए आरोपी का धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण किया गया। आरोपी ने बचाव साक्ष्य न देना व्यक्त किया।

05— प्रकरण के निराकरण में निम्न विचारणीय प्रश्न हैं :--

- क्या आरोपी ने दिनांक 08.10.16 को समय 16:30 बजे फरियादी की टपरिया के भीतर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अंजली के पिता को मॉ—बहन के अश्लील शब्दों का उच्चारण कर उसे क्षोभ कारित किया।
- क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी अंजली के घर में घुसकर उपहित कारित करने के आशय से प्रवेश कर गृह अतिचार कारित किया।

- 3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी के पिता की लाठी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहृति कारित की।
- 4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में आहत प्रकाश के साथ मारपीट कर अस्थि भंग कारित कर स्वेच्छया घोर उपहित कारित की।
- 5. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर सामान्य आशय के अग्रसरण में प्रकाश को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

-:: सकारण निष्कर्ष ::-

06— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य आपस में संशक्त एवं अंतर्वलित है। अतः ऐसी स्थिति में साक्ष्य की पुनरावृत्ति के दोषनिवारणार्थ विचारणीय प्रश्न क्रमांक 01 लगायत 05 का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। अभियोजन ने अपने पक्ष के समर्थन में अ.सा. 01 प्रकाशराम, अ.सा. 02 अंजली, अ.सा. 03 घोगा उर्फ सुखलाल, अ. सा. 04 शांतिबाई, अ.सा. 05 भूरा उर्फ शिवराज, अ.सा. 06 लल्लूराम, अ.सा. 07 डॉ. सिद्धार्थ, अ.सा. 08 डॉ. एस. एल. छारी, अ.सा. 09 सुरेश कुमार की मौखिक साक्ष्य अभिलेख पर प्रस्तुत की गई है।

07— अभियोजन साक्षी 01 प्रकाशराम ने अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी को जानता है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह अपने घर पर था तब आरोपी लठढ लेकर उसके घर पर मारने आ गया था और उसके साथ मारपीट शुरू कर दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके दांए हाथ, सिर और कमर में लाठी से मारा था तथा घटना के समय घर पर उसकी लडकी अंजली थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी घर में घुसा था तब वह बाहर आ गया और आरोपी ने उसके दरवाजे पर ही मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके टपरे पर ही

मारपीट की थी। अ.सा. 02 अंजली ने भी अपने कथन में बताया है कि आरोपी ने उसके पिता को घर में घुसकर डंडे से मारा था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने उसके पिता को हाथ, सिर व कमर में लाठी से मारा था और साथ ही जान से मारने की धमकी भी दी थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 01 की रिपोर्ट लेखबद्ध कराई थी। अ.सा. 02 के अनुसार आरोपी ने मारपीट के पहले कुछ नहीं कहा और सीधे मारपीट शुरू कर दी थी।

08— अ.सा. 03 सुखलाल ने भी अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को फरियादी अपने घर पर बैठा था और तब आरोपी लठ लेकर आया और उसने प्रकाश को लाठियां मारना शुरू कर दिया था। उक्त साक्षी के अनुसार फरियादी भागा था, किंतु उसके बाद भी आरोपी ने उसे लाठियों से मारा था। अ.सा. 04 शांतिबाई ने भी अपने कथन में बताया है कि वह आरोपी एवं फरियादी तथा आहत को जानती है। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी ने फरियादी को लाठियों से मारा था और प्रकाशराम उसके घर के आगे से भागता हुआ गया था। उक्त साक्षी के अनुसार आरोपी उसके सामने फरियादी के घर में नहीं घुसा और न ही उसके सामने कोई मारपीट की थी। अ.सा. 06 लल्लूराम पक्षद्रोही हो गया है तथा उसने अभियोजन की कहानी का कोई समर्थन नहीं किया है। उक्त साक्षी के अनुसार घटना दिनांक को वह मौके पर नहीं था।

09— इस प्रकार अ.सा. 01 ने स्पष्ट रूप से अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने उसके साथ लाठियों से मारपीट की थी जिसमें उसे चोटें आई थीं। अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 ने अपनी साक्ष्य में किया है। अ.सा. 02 लगायत अ.सा. 04 ने अ.सा. 01 की साक्ष्य का अनुसमर्थन करते हुए कथन किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने प्रकाशराम के साथ लाठियों से मारपीट की थी। अ.सा. 07 डॉ एस पी सिद्धार्थ जो कि एक मेडिकल विशेषज्ञ हैं उन्होंने अपनी साक्ष्य में कथन किया है कि उनके द्वारा उक्त घटना दिनांक को आहत प्रकाश का मेडिकल परीक्षण किया गया था जिसमें उसके शरीर पर छः चोटें पाई गई थीं।

उक्त साक्षी के अनुसार उनके द्वारा किए गए मेडिकल परीक्षण की रिपोर्ट प्रपी 04 है। उक्त रिपोर्टानुसार उक्त घटना दिनांक को आहत को छः अलग—अलग चोटें आना प्रमाणित हो रहा है। इस प्रकार अ.सा. 07 की साक्ष्य से अ.सा. 01 की साक्ष्य की संपुष्टि हो रही है। अ.सा. 08 द्वारा प्रकरण में फरियादी के हाथ का एक्स—रे किया जाना बताया गया है। अ.सा. 08 के अनुसार एक्स—रे रिपोर्ट प्रपी 05 है जिसके ए से ए भाग पर उन्होंने अपने हस्ताक्षर होना बताया है। उक्त रिपोर्टानुसार आहत के दांए हाथ में अस्थि भंग पाया गया था इस प्रकार यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आहत को अस्थि भंग हुआ था। उक्त साक्ष्य से अ.सा. 01 की साक्ष्य की संपुष्टि हो रही है।

- 10— अ.सा. 05 भूरा उर्फ शिवराज ने अपने कथन में बताया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने फरियादी के साथ लाठी से मारपीट की थी। उक्त साक्षी के अनुसार उसने प्रपी 02 के पंचनामें के ए से ए भाग पर हस्ताक्षर किए थे। उक्त साक्षी के अनुसार दरोगाजी ने लाठी उसके घर के सामने से जप्त की थी तथा आरोपी से लाठी छुडाई थी। इस प्रकार उक्त साक्षी की साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी से लाठी जप्त की गई थी। अ.सा. 09 सुरेश कुमार जो कि मामले का विवेचक है ने अपनी साक्ष्य में बताया है कि उसके द्वारा प्रकरण में प्रसूरि प्रपी 01 लेखबद्ध की गई थी तथा नक्शामौका प्रपी 06 तैयार किया गया था। उक्त साक्षी के अनुसार उसके द्वारा साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किए गए थे तथा उसने आरोपी से प्रपी 02 के अनुसार लाठी जप्त की थी। इस प्रकार अ.सा. 09 की साक्ष्य से भी यह प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी से उसने लाठी जप्त की थी।
- 11— प्रकरण में अभिलेख पर आई हुई उपरोक्त साक्ष्य से यह प्रमाणित हो रहा है कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ लाठी से मारपीट की गई जिससे उसे न केवल साधारण चोटें आईं, बल्कि अस्थि भंग भी हुआ था। अ.सा. 01 एवं अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि आरोपी फरियादी के घर में घुसा था तथा वह लाठी लेकर घुसा था और इस प्रकार वह अपराध करने की नीयत से तैयारी कर

फरियादी के घर में घुसा था। अ.सा. 02 की साक्ष्य से यह भी प्रमाणित हो रहा है कि आरोपी ने फरियादी को जान से मारने की धमकी दी थी। उल्लेखनीय है कि एक भी साक्षी ने अपने कथनों में यह नहीं बताया है कि आरोपी द्वारा फरियादी के साथ गाली—गलौच की गई थी। इस प्रकार अभिलेख पर आई हुई साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं होता कि उक्त घटना दिनांक को आरोपी द्वारा फरियादी के साथ गाली—गलौच कर क्षोभ कारित किया गया। उपरोक्त समग्र विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भादि की धारा 452, 323, 325 एवं 506 भाग—दो के आरोप में सिद्धदोष पाते हुए दोषसिद्ध किया जाता है तथा भादिव की धारा 294 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

12— आरोपी पूर्व से न्यायिक अभिरक्षा में है। आरोपी एवं उनके अधिवक्ता को दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया गया।

> (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चन्देरी जिला—अशोकनगर

पुनश्च:-

13. आरोपी के विद्वान अधिवक्ता श्री चौरिसया का निवेदन है कि उक्त अपराध आरोपी का प्रथम अपराध है और उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकार्ड नहीं है। अतः उनका निवेदन है कि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ देकर छोड़ दिया जावे। प्रकरण में स्पष्ट है कि आरोपी द्वारा उक्त अपराध कारित किया गया है तथा फरियादी को अस्थि भंग भी हुआ है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण गंभीर प्रकृति का है। अतः उपरोक्त तथ्यों को दृष्टिगत् रखते हुए यदि आरोपी को परिवीक्षा का लाभ दिया जाता है तो उसका गलत संदेश समाज में जाने की संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में आरोपी को परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 एवं 4 का लाभ दिया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता।

- जहां तक दण्ड का प्रश्न है तो निश्चित रूप से आरोपी को ऐसे दंडादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें भविष्य में ऐसे अपराध से रोके और साथ ही उनके लिए शिक्षाप्रद हो। आरोपी को ऐसे दण्डादेश से दंडित करना उचित होगा जो कि उन्हें न केवल विधिक प्रक्रिया के प्रति गंभीर करे, बल्कि उन्हें यह भी बोध हो कि यदि किसी के द्वारा कोई हिंसा का कार्य किया जाता है तो ऐसी दशा में उन्हें गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में आरोपी को भा.द.वि. की धारा 452 के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिक्रम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 323 के अपराध में 3 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 325 के अपराध में 1 वर्ष के साधारण कारावास एवं 500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड के व्यतिकृम में आरोपी 15 दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास भोगेगा। आरोपी को भा.द.वि. की धारा 506 भाग-दो के अपराध में 3 माह के साधारण कारावास से दंडित किया जाता है। उक्त सभी दंडादेश एक साथ भुगताए जाएंगे। उक्त दंडादेश आरोपी द्व ारा पूर्व में भुगताये गए कारावास से समायोजित किया जावे। प्रकरण में अभियोजन की ओर से क्षतिपूर्ति के संबंध में कोई तर्क नहीं किया गया और अभिलेख पर ऐसी कोई साक्ष्य भी नहीं आई है, जिससे कि फरियादी को क्षतिपूर्ति दिलाया जाना समीचीन प्रतीत होता हो।
- 15. आरोपी के जमानत मुचलके निरस्त किए जाते हैं।
- 16. प्रकरण में जप्तशुदा एक बांस की लाठी मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपील न्यायालय के निर्देशों का पालन हो।

- 17. आरोपी अनुसंधान एवं विचारण के दौरान न्यायिक अभिरक्षा संबंधी धारा 428 द.प्र.स. का प्रमाण पत्र बनाया जावे।
- 18. आरोपी का सजा वारंट तैयार किया जावे।

निर्णय पृथक से टंकित कर विधिवत हस्ताक्षरित व दिनांकित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.) (जफर इकबाल) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी चंदेरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)